न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 79/14 दायर दिनांक: 28.07.2014

जीसीएमएस नं. 2014/00458

उनवान

1 जगदीश पुत्र स्व. श्री लटूर (मृतक) 1/1 सन्तोष पत्नि जगदीश 1/2 नैमीचन्द पुत्र जगदीश 1/3 कृष्णा पुत्री जगदीश जातियान ब्राह्मण नि. सैंधली तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादीगण

बनाम

1 दिनेशचन्द 2 यातेन्द्र कुमार 3 विश्वप्रिय 4 कैलाश पुत्र स्व. श्री लटूर 4/1 मुन्नी पत्नि कैलाश 4/2 मधु पुत्री कैलाश 4/3 ऋषि पुत्र कैलाश जातियान ब्राह्मण नि. सैंधली तह. भुसावर 4/4 रश्मि पुत्री कैलाश पत्नि राधेश्याम जाति ब्राह्मण नि. बंशी तह. बयाना जिला भरतपुर 5 मनोहरलाल 6 शत्रुधन 7 वीरेन्द्र पुत्रान स्व. दौलता जाति ब्राह्मण नि. सैंधली तह. भुसावर 8 ब्रह्मदेवी उर्फ विरमा पुत्री दौलता जाति ब्राह्मण नि. हाडौली तह. रूपवास जिला भरतपुर 9 सोन पुत्री दौलता पत्नि रमेश जाति ब्राह्मण नि. गांगरौली तह. वैर 10 बाबू पुत्र चिरंजी जाति माली नि. सैंधली तह. भुसावर जिला भरतपुर राज. 11. राज. सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता :–

1.श्री विनोद कुमार शर्मा ––वादीगण
2.श्री पप्पूराम ––प्रतिवादीगण
3.श्री मनोज दत्त ––प्रति.सं. 1,2,3,4,4/1 लगा. 4/4

निर्णय दिनांक 17.01.2025

वादी वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 05 रकबा 01 बीघा, 83 रकबा 08 बिस्वा, 86 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, 89 रकबा 01 बीघा, 95 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, 97 रकबा 01 बीघा, 102 रकबा 09 बिस्वा, 134 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, 188 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, 215 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, 216 रकबा 06 बीघा, 218 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, 283 रकबा 01 बीघा, 289 रकबा 19 बिस्वा, 363 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा, 368 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, 556/126 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 17 रकबा 36 बीघा 14

उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

बिस्वा वाके ग्राम सैंधली तह. भुसावर में स्थित है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4, 1/5,1/5 हिस्से में वाहिस्सा बराबर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है। नकल जमाबंदी संवत 2069 से 2072 संलग्न है।

आ.ख.नं. 212 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा, 214 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा किता 02 रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम सैंधली तह. भुसावर में स्थित है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4, 1/2 हिस्से वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है, शेष 1/2 हिस्से में से प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7, 9/20 हिस्से में वाहिस्सा बराबर एव प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9, 1/20 हिस्से में वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है।

आ.ख.नं. 366 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम सैंधली तह. भुसावर में से प्रतिवादी संख्या 2 यातेन्द्र ने अपना 1/5 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा प्रतिवादी संख्या 10 बाबू पुत्र चिरंजी जाति माली नि. सैंधली को विक्रय कर दिया है, शेष 4/5 हिस्से पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है।

वादी एवं प्रतिवदीगण संख्या 1 लगायत 4 की माँ बसंती का स्वर्गवास भी कई वर्ष पूर्व में हो चुका है, जिसके तरके पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 काविज है।

उक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाज्य सम्पत्ति है, जिसका अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन अभी तक नहीं हुआ है तथा उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की पुस्तैनी सम्पत्ति है, जिसे वादी एवं प्रतिवादीगण आपसी बाहमी विभाजन (मनवट) के आधार पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

हमने दावा वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा श्री पप्पूराम एड. एवं मनोज दत्त पाण्डेय द्वारा पेश किया गया। दिनांक 19.07.2023 को उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा पुनः संशोधित प्रारम्भिक डिक्री की गई तथा पत्रांक/एल.आर./25/137 दिनांक 10.01. 2025 से तहसीलदार, भुसावर द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया। हमने विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुना गया। उन्होंने विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु सहमति जताई गई।

हमने बहस कुरेजात पर उभयपक्ष अधिवक्ता से सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावजी रिकॉर्ड व तहसीलदार, भुसावर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तथा जवाब दावा का भली-भाँति अध्ययन किया गया। इसके आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव पत्रांक/एल.आर./25/137 दिनांक 10.01.2025 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 को खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा तैयार जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)